

हिमाचल प्रदेश सरकार
भाषा कला एवं संस्कृति विभाग

संख्या: एल0सी0डी0-ए (3)-2/2006 तारीख शिमला-2, 6-9-2011.

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग में सांस्कृतिक आयोजक, वर्ग- III (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-‘क’ के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग, सांस्कृतिक आयोजक, वर्ग- III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2011 है ।
- (2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।
- निरसन और व्यावृत्तियां । 2 (1) अधिसूचना संख्या: भाषा-ए(3)9/95 तारीख 18, सितम्बर, 2000 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग, सांस्कृतिक आयोजक, वर्ग- III (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2000 का एतद् द्वारा निरसन किया जाता है ।
- (2) परन्तु ऐसे निरसन के होते हुए भी उपरोक्त उप-नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी ।

आदेश द्वारा,

मनीषा नंदा
प्रधान सचिव (भाषा, कला एवं संस्कृति)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

पृ० संख्या:एल०सी०डी०-ए(३)-२/२००६ तारीख शिमला-२ ६-९-२०११.
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

१. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार ।
२. महालेखाकार (आडिट) हिमाचल प्रदेश, शिमला-३
३. निदेशक (भाषा-संस्कृति) हिमाचल प्रदेश, शिमला-९.
४. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हि० प्र० शिमला-५ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश(असाधारण) में प्रकाशित करने हेतु ।
५. वित्त विभाग (वित्त विनिमय) हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला-२.
६. सहायक विधि परामर्शी एवं अवर सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार ।
७. संरक्षण नस्ति ।

उप सचिव (भाषा कला एवं संस्कृति)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

उपाबन्ध-‘क’

भाषा ,कला एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश में सांस्कृतिक आयोजक वर्ग-।।।
(अराजपत्रित) पद के भर्ती और प्रोन्नति नियम :

1	पद का नाम :	सांस्कृतिक आयोजक
2	पदों की संख्या :	3 (तीन)
3	वर्गीकरण:	वर्ग -III (अराजपत्रित)
4	वेतनमान:	i) नियमित पदाधारियों के लिए वेतनमान: ₹ 10300-34800+3600 रूपये ग्रेड पे ii) संविदात्मक नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां : ₹ 13900/- रूपये स्तम्भ संख्या: 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार ।
5	चयन पद अथवा अचयन:	अचयन।
6	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु :	18 से 45 वर्ष । परन्तु सीधी भर्ती के लिए उच्चतम आयु सीमा तदर्थ या संविदा पर नियुक्त किए गए पहले से सरकार की सेवा में व्यक्तियों सहित अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी : परन्तु यह और कि यदि तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु को हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा : परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है ; परन्तु यह और कि पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत दी जायेगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत जो पश्चातवर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/ किए गये हैं और उन पब्लिक सेक्टर

		<p>निगमों/स्वायत निकायों को ऐसे कर्मचारी वृन्द को नहीं दी जायेगी जो पश्चात्पूर्वी ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/ किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात ऐसे निगमों /स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गये थे।</p> <p>(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जायेगी जिसमें कि पद (पदों) को यथास्थिति आवेदन आमन्त्रित करने के लिए विज्ञापित किया जाता है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया जाता है।</p> <p>(2) अन्यथा सुतर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव आयोग के विवेकानुसार तिथि किया जा सकेगा।</p>
7	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक और अन्य अहर्ताएं :	<p>(क) अनिवार्य अहर्ताएं :-</p> <p>i) दसवीं पास हो और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कला में डिग्री/ डिप्लोमा रखता हो ।</p> <p>ii) संगीत नृत्य या नाटक में पांच वर्ष का अनुभव।</p> <p>(ख) वांछनीय अहर्ताएं :-</p> <p>i) हिमाचल प्रदेश के लोक और संगीत, लोक साहित्य का पर्याप्त ज्ञान।</p> <p>ii) संगीत रचने, स्वरलिपि लिखने और संगीत में धुनें तैयार करने की क्षमता तथा इस क्षेत्रों में कलाकारों को प्रशिक्षण देने की क्षमता।</p> <p>iii) अभिनय (प्रदर्शन) के दौरान मंच तैयार करने व आयोजित करने की योग्यता।</p> <p>iv) हिमाचल प्रदेश के रीति-रिवाजों और बोलियों का ज्ञान तथा प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट परिस्थितियों में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।</p> <p>v) संगीत,नृत्य या नाटक के क्षेत्र में तीन वर्ष तक भाग लिया हो ।</p>
8	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अहर्ताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं :	<p>आयु : लागू नहीं ।</p> <p>शैक्षिक अहर्ताएं : लागू नहीं ।</p>
9	परिचीक्षा की अवधि यदि	दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि

	कोई हो :	के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे ।
10	भर्ती की पद्धति— भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता :	यथास्थिति शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा । संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ संख्या 15—क में दी गई उपलिब्धियों को प्राप्त करेंगे और उक्त स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे ।
11	प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण किया जाएगा:	लागू नहीं है ।
12	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना	लागू नहीं ।
13	भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा:	जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित हो ।
14	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अनिवार्य अपेक्षा :	किसी सेवा या नियुक्ति के लिए अभ्यार्थी का भारत का नागरिक होना आवश्यक है ।
15	सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन :	सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा और यदि यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर या अन्य भर्ती अभिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम, आदि यथास्थिति, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा ।
15— क	संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन :	इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अधधीन की जाएंगी :— 1. संकल्पना: क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश भाषा कला एवं संस्कृति विभाग में सांस्कृतिक आयोजक को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जायेगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :

		<p>परन्तु वर्षानुवर्षे आधार पर संविदा की अवधि में विस्तार/नवीकरण के लिए सम्बन्धित विभागाध्यक्ष इस आशय का प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदात्मक अभ्यर्थी का आचरण और कार्य वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है, और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि में विस्तारण/नवीकरण किया जाएगा।</p> <p>ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना:- निदेशक, भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात अध्यपेक्षा को सम्बन्धित भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के समक्ष रखेगा।</p> <p>ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जायेगा।</p> <p>(II) संविदात्मक उपलब्धियां : संविदा के आधार पर नियुक्त सांस्कृतिक आयोजक को 13900/-रुपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमाह संदत्त की जायेगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चातवर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 420/-रुपए की रकम (पद के पे बैंड जमा ग्रेड पे के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।</p> <p>(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी : निदेशक, भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी होगा।</p> <p>(IV) चयन प्रक्रिया : संविदात्मक नियुक्ति के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा और यदि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो, जो लिखित या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जायेगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि यथास्थिति भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जायेगा।</p> <p>(V) संविदात्मक नियुक्तियों के चयन के लिए समिति :</p>
--	--	---

		<p>जैसी सम्बन्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।</p> <p>(VI) करार : अभ्यर्थी के चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपबंध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।</p> <p>(VII) निबन्धन और शर्तें :</p> <p>क) संविदा के आधार पर नियुक्त सांस्कृतिक आयोजक को 13900/-रूपए की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के प्रारम्भिक जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में रूपए 420/- (पद के पे बैंड जमा ग्रेड पे के न्यूनतम का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।</p> <p>(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।</p> <p>(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और अवकाश यात्रा रियायत (एल0टी0सी0) इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जायेगा।</p> <p>(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जायेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (डियूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।</p> <p>(ङ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया</p>
--	--	--

		<p>है, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा।</p> <p>(च) चयनित अभ्यार्थी को सरकारी /रजीस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र (फिटनेस सर्टीफिकेट) प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यार्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यार्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी से उपयुक्ता के लिए पुनः परीक्षण किया जायेगा।</p> <p>(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो तो वह उसी दर पर, जैसा कि नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को लागू है, वेतनमान के न्यूनतम पर यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।</p> <p>(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ.आर.एस.आर. छुट्टी नियम, सामान्य भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम और आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।</p>
16	आरक्षण :	उक्त सेवा में नियुक्त हिमाचल सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुचित जनजातियों /पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण के वावत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।
17	विभागीय परीक्षा :	लागू नहीं ।
18	शिथिल करने की शक्ति :	जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह करणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत शिथिल कर सकेगी।

सांस्कृतिक आयोजक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग के माध्यम से निष्पादित की जाने वाले संविदा/करार का प्रारूप।

यह करार श्री/श्रीमति.....

पुत्र/पुत्री श्री.....
निवासीसंविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्रथम पक्षकार' कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य, निदेशक, भाषा एवं संस्कृति (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'द्वितीय पक्षकार' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीखको किया गया।

'द्वितीय पक्षकार' ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लागाया है और प्रथम पक्षकार ने सांस्कृतिक आयोजक (पर का नाम) के रूप में संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:—

- 1 यह कि प्रथम पक्षकार सांस्कृतिक आयोजक के रूप में.....से प्रारम्भ होने और.....को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा आखिरी कार्य दिवस अर्थात्दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा की अवधि में विस्तार/नवीकरण के लिए समबद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक पाया गया है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि विस्तारित/नवीकृत की जाएगी।

- 2 प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम.....रूपये प्रतिमास होगी।
- 3 प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतयः अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।
- 4 संविदात्मक नियुक्त सांस्कृतिक आयोजक एक वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदात्मक नियुक्त सांस्कृतिक आयोजक (पद का नाम) को किसी भी प्रकार का अन्य कोई आवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति ओर एल०टी०सी०इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।
- 5 नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समाप्त) हो जाएगा। संविदात्मक नियुक्त सांस्कृतिक आयोजक (पद का नाम) कर्तव्य (डियूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

- 6 संविदा आधार पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
- 7 चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।
8. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/ होगी।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में :-

1

.....

(नाम व पूरा पता)

2

.....

.....

(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थिति में

1

.....

.....

(नाम व पूरा पता)

2

.....

.....

(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

(Authoritative English Text of this Department Notification No. LCD-A (3)-2/2006 dated 6-9-2011 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.)

Government of Himachal Pradesh
Department of Language Art and Culture

No. LCD-A(3)-2/2006 Dated: Shimla-171002, the 6-9-2011.

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules, for the post of Cultural Organizer, Class-III (Non-Gazetted) in the Department of Language, Art and Culture, Himachal Pradesh, as per Annexure-"A" attached to this notification, namely:-

- | | | |
|------------------------------|---|--|
| Short title and Commencement | 1 | (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Department of Language, Art and Culture, Cultural Organizer, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment & Promotion Rules, 2011. |
| | | (2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh. |
| Repeal and Savings | 2 | (1) The Himachal Pradesh, Language Art and Culture Department, Cultural Organizer, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment & Promotion Rules, 2000 notified vide notification No. Bhasha-A(3)9/95- dated 18 th September 2000 are hereby repealed. |
| | | (2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub rule 2(1) supra, shall be deemed to have been validity made, done or taken under these rules. |

By Order

Principal Secretary (LAC) to the
Government of Himachal Pradesh.

No. LCD-A(3)-2/2006 Dated: Shimla-171002,

6-9 -2011.

Copy forwarded to:-

1. All Administrative Secretaries to the Govt. of Himachal Pradesh.
2. Secretary, H.P. Public Service Commission, Shimla-2, with reference to letter.
3. Director, LAC, Himachal Pradesh.
4. The Controller, P&S, Himachal Pradesh for favour of Publication in the Rajpatra.
5. ALR-cum-Deputy Secretary (Law), H.P. Sectt, Shimla-2.
6. 100 spare copies.

Deputy Secretary (LAC) to the
Government of Himachal Pradesh.

Annexure-A

Recruitment and Promotion Rules for the Post of Cultural Organizer, (Class - III (Non- Gazetted) in the Department of Language & Culture, H.P.

1	Name of the Post:	Cultural Organizer
2.	Number of Post	3 (Three)
3.	Classification	Class-III (Non-Gazetted)
4.	Scale of Pay	i) ₹ 10300-34800+3600 Grade Pay (for regular incumbents) ii) Emoluments' for Contractual employees ₹ 13900/- As per details given in Column 15-A.
5.	Whether selection post or Non selection post	N.A.
6.	Age for direct recruitment	Between 18 and 45 years.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidate already in service of the Government including those who have been appointed on ad hoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis had become overage on the date when he was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment:

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Caste/Scheduled Tribes /Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector/Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporation/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servant. This concession will not however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who are/were subsequently appointed by such Corporation/ Autonomous Bodies and who are/were of finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporation/Autonomous Bodies.

Note: (I) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges as the case may be.

- (II) Age and experience in the case of direct recruitment is relaxable at the discretion of the H.P. Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7	Minimum Educational and other Qualifications required for direct recruits:	<p><u>Essential Qualifications:</u></p> <p>(i) Must have passed Matriculation Examination and possessing Degree or Diploma in any performing Arts from a recognized University or Institution.</p> <p>(ii) Five years experience in the field of Music Dance or Drama.</p> <p><u>Desirable Qualifications:-</u></p> <p>(i) Adequate knowledge of Folk Music and folk lore of Himachal Pradesh.</p> <p>(ii) Capacity to compose music, write notation and prepare tunes in Music and ability to train artists in these fields.</p> <p>(iii) Ability to organize and manage the stage during performance.</p> <p>(iv) Knowledge of customs manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.</p> <p>(v) Participation in the field of Music Dance or Drama for atleast three years.</p>
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees;	<p>Age: Not applicable</p> <p>Educational Qualifications: Not applicable</p>
9.	Period of Probation, if any	Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be record in writing.
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer	100% by direct recruitment on a regular basis or on contract basis, as the case may be. The contract

	and the percentage of posts to be filled in by various methods.	employee will get emoluments as given in Col. 15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column.
11	In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/ deputation/ transfer is to be made	Not applicable.
12	If a Departmental promotion committee exists, what is its composition?	N.A.
13	Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.	As required under the Law.
14	Essential requirement for a direct recruitment	A candidate for appointment to any service of post must be a citizen of India.
15	Selection for appointment to the post by direct recruitment.	Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test if the <u>H.P.SUBORDINATE SERVICES SELECTION BOARD,HAMIRPUR</u> or other recruiting agency, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test the standard syllabes etc. of which will be determined by the concerned recruiting authority, as the case may be
15.A	(Selection for appointment to the post by contract appointment)	Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:- (I) Concept : (a) Under this policy the Cultural Organizer in the Department of Language, Art and Culture, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extended on year to year basis: Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and

conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his/her period of contract is to be renewed/extended.

(b)POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSSB: -

The Director, Language, Art and Culture, H.P. after obtaining the approval of the government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. **H.P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.**

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS:-

The Cultural Organizer appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ ₹13900/- P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of ₹ 420/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III)APPOINTING AND DISCIPLINARY AUTHORITY:

The Director, Language, Art and Culture,H.P. will be appointing and disciplinary authority.

(IV)SELECTION PROCESS:

Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if consider necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e.

H.P.SUBORDINATE SERVICES SELECTION BOARD,HAMIRPUR

(V)COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS:

As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. **H.P.SUBORDINATE SERVICES SELECTION BOARD, HAMIRPUR** from time to time.

(VI) AGREEMENT:

After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure "B" appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS:

- (a) The Cultural Organizer appointed on contract basis will be paid fixed contractual amount i.e. ₹13900/- P.M. (Which shall be equal to minimum of the pay band+ Grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ ₹ 420/- (3% of minimum of the pay band+ grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior selection scales etc. will be given.
- (b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
- (c) Contract Appointee will be entitled for one-day casual leave after putting one-month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/she shall not be entitled for Medical reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.
- (d) Unauthorized absence from duty without approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
- (e) An official appointed on contract

		<p>basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.</p> <p>(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government. / Registered Medical Practitioner. Women candidates pregnant beyond twelve weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.</p> <p>(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as are applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.</p> <p>(h) Provision of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract Appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.</p>
16	Reservation	The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled castes/Scheduled Tribes/ other Backward classes/ other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17	Departmental examination	Not applicable
18	Power to relax	Where the State Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with H.P.Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

FORM OF CONTRACT/ AGREEMENT TO BE EXECUTED BETWEEN THE CULTURAL ORGANIZER AND THE GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH THROUGH DIRECTOR LANGUAGE, ART & CULTURE DEPARTMENT

This agreement is made on this day of in the year between Sh./Smt S/o/D/o Shri.....r/o.....

.....Contract appointee (Here-in-after called the FIRST PARTY), AND The Governor,Himachal Pradesh through Director, Language, Art & Culture, Himachal Pradesh (here -in-after called the SECOND PARTY).

Whereas the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Cultural Organizer on contract basis on the following terms & conditions:-

1. That the FIRST PARTY Shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Cultural Organizer for a period of one year commencing on day of and ending on the day of It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of theFIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on -----and information notice shall not be necessary :
Provided that for further extension/renewal of contract period on year to year basis the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/ extended.
2. The contractual amount of The FIRST PARTY will Rs. per month.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed /posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.
4. Contractual Cultural Organizer will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the contractual Cultural Organizer. He/She will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.
5. Unauthorized absence from duty without approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Cultural Organizer appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
6. An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. In case of woman candidate pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement

is over. The women candidate should be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

8. Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.
9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF and GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first above written.

IN THE PRESENCE OF WITNEES

1
.....
.....

(Name and full address)

2
.....
.....

Signature of the First Party

IN THE PRESENCE OF WITNEES

1
.....
.....

(Name and full address)

2
.....
.....

Signature of the Second Party